।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रा.पत्र सं0 11/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री इन्द्राराम पुत्र राणाराम माली निवासी बड़ाबाग तहसील जैसलमेर 2. श्री मूलाराम पुत्र राणाराम माली निवासी बड़ाबाग तहसील जैसलमेर		1. आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर । 2. तहसीलदार, जैसलमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1. श्री गणपतराम पंवार एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर अनुपस्थित ।
3. पैरोकार राज तहसीलदार, जैसलमेर

निर्णय **दिनांक:– 11 दिसम्बर, 2017**

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार तथ्य यह प्रस्तुत किया गया है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 09/2009 अनवान इन्द्राराम व अन्य बनाम नगरपालिका जैसलमेर व अन्य अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ को स्थानान्तरित किया गया है । उक्त राजस्व वाद ग्राम बड़बाग तहसील जैसलमेर के क्षेत्र से संबंधित भूमि का होने व जिसे नियमित बन्दोबस्त में ग्राम जैसलमेर के क्षेत्र में कथित रूप से सम्मिलित करने के संबंध में किये गये कथन व उसके आधार पर प्राथीगण द्वारा उसके खातेदारी अधिकारों के लिये विचाराधीन होना बताया गया है । प्रार्थीगण का आगे कथन है कि उक्त वाद नगरपालिका जैसलमेर के आवेदन पर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण को स्थानान्तरित किया गया था जिसे बाद में इस कार्यालय में आवेदन पर प्रकरण संख्या 02/2016 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के न्यायालय को हस्तान्तरित किया गया । तत्कालिन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा उक्त वाद में राज पेरोकार की हैसियत से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय जैसलमेर में राजकीय पक्ष की ओर से तहसीलदार जैसलमेर के पर पर पदस्थापित रहते हुये जवाब दाखिल किया गया था और इस आधार पर उनके द्वारा वाद में अग्रेतर कार्यवाही से डिफर होकर पत्रावली इस न्यायालय में मुन्तकल कर दी । तत्कालीन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के स्थानान्तरण के पश्चात उक्त वाद की पत्रावली इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2016 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के द्वारा उक्त वाद पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही के लिये सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के न्यायालय को हस्तान्तरित की गयी। प्रार्थीगण का प्रस्तुत करना है कि जिस आधार पर उक्त वाद पत्रावली सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय से हस्तान्तरित करवायी गयी थी तत्समय का वाद कारण तत्समय के पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात नहीं रहा है । वादग्रस्त भूमि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अवस्थित है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाद पत्रावली मूल न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को हस्तान्तरित की जाये ।

अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना निश्चित किया गया ।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षो की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि तहसील जैसलमेर के क्षेत्र में अवस्थित होने से उसके संबंध में निर्णय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय का रहा है । उन्होने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ के पीठासीन अधिकारी का इसी माह के अन्त में सेवानिवृत होने पर आगे पदस्थापना के अभाव में पद रिक्त रहने से वाद में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकने का भी उल्लेख किया । उन्होने न्यायहित में उक्त वाद पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया । पैराकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया ।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि तहसील जैसलमेर के क्षेत्र में अवस्थित है और ऐसी स्थिति में उसके संबंध में विचाराधीन वाद का न्याय निर्णयन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के न्यायालय से किया जाना उपयुक्त एवं युक्तियुक्त ठहरता है । उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ से न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में मुन्तकल किया जाना आदेशित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/17

(कैलाश चन्द मीना)
जिला कलक्टर
जैसलमेर